रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 846] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939
No. 846] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

का.आ. 946(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान हेतु एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को उनकी हकदारियां सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सीधे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है तथा आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विविध दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) से संबंधित जिला परियोजना सोसाइटी (डीपीएस) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (रा.बा.श्र.प.) स्कीम के अधीन विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों के स्टाइपेंड अवयव (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और यह स्कीम क्षेत्र स्तर पर जिला परियोजना समिति या जिला परियोजना समिति के तहत स्वैच्छिक एजेंसियों आदि द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (वि.प्र.के.) के रूप में कार्यान्वित होता है और यह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिकों को (जिसे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को स्टाइपेंड (जिसे इसके पश्चात 'फायदा' कहा गया है) प्रदान करने के उद्देश्य से है;

और उपर्युक्त स्कीम के अधीन भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016(2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह उसके पास आधार संख्यांक के होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी हकदार फायदाग्राहियों, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं, अपेक्षित है कि वे 30.09.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें, परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्राप्त करने के हकदार हों, तथा ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यू आई डीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय के जिला परियोजना सोसायटी के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करें और यदि उनके ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय जिला परियोजना सोसायटी के माध्यम से यूआईडीएआई के विधमान रजिस्ट्रारों या मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परन्तु स्कीम के व्यक्तियों का अधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या

(ii) नीचे दिए गए पैरा 2 उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रतिलिपि; तथा

(ख) (i) तस्वीर सहित पासबुक; या (ii) राशन कार्ड; या(iii) पासपोर्ट; या(iv) किसी भी सरकार द्वारा जारी परिवार हकदारी कार्ड; या (v) जन्म प्रमाण-पत्र; या (vi) सरकारी पत्र – शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सहित पहचान का प्रमाण-पत्र; या (vii) मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और की उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधाएं के फायदाग्राहियों को उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय जिला परियोजना सोसायटी के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्ति हेतु आधार की अपेक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाएं फायदाग्राहियों को या उनके माता-पिता या अभिभावकों को दी जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर 30.09.2017 तक बालक को नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे आस-पास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय जिला परियोजना सोसाइटी से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है तथा फायदाग्राही इस हेतु मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या जिला परियोजना सोसाइटी या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर या संचार के अन्य साधनों तथा पैरा (1) के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध कर सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जैड-16012/1/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

S.O. 946(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of Stipend Component to Children in Special Training Centres (hereinafter referred to as the Scheme) under National Child Labour Project (NCLP) Scheme by the concerned District Project Society (DPS);

And whereas, the Scheme is implemented at the field level by Special Training Centres (STCs) run either by District Project Society (DPS) or Voluntary agencies, etc., under the District Project Society and the same is aimed to provide Stipend (hereinafter referred to as benefits) to all Child workers below the age of fourteen years (hereinafter referred to as beneficiaries) enrolled in NCLP Special Training Centres;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

(1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.09.2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its District Project Societies which requires an Individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its District Project Societies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) Any Government family entitlement card; or (v) Birth Certificate; or (vi) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (vii) Any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its District Project Societies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries or their parents or guardians to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get the child enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.09.2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its District Project Societies, is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers or other modes of communication and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or District Project Society or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-16012/1/2016-CL]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

का.आ. 947(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान हेतु एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को उनकी हकदारियां सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सीधे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है तथा आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विविध दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान स्कीम के अधीन विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में बच्चों के स्टाइपेंड कम्पोनेंट(जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और यह स्कीम क्षेत्र स्तर पर स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा (जिसे इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में कहा गया है) कार्यान्वित किया जाता है और इसमें गैर-राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिलों के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिकों(जिसे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को स्टाइपेंड(जिसे इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान किया जाता है;

और उपर्युक्त स्कीम के अधीन भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016(2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह उसके पास आधार संख्यांक के होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी हकदार फायदाग्राहियों जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं, अपेक्षित है कि वे 30.09.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्राप्त करने के हकदार हों तथा ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यू आई डीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.inपर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अदयतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय, क्रियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करें और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय क्रियान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विधमान रजिस्ट्रारों या मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परन्तु स्कीम के व्यक्तियों का अधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या (ii) नीचे दिए गए पैरा 2 उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रतिलिपि; तथा

(ख) (i) तस्वीर सहित पासबुक; या (ii) राशन कार्ड; या(iii) पासपोर्ट; या(iv) किसी भी सरकार द्वारा जारी परिवार हकदारी कार्ड; या (v) जन्म प्रमाण-पत्र; या(vi) सरकारी पत्र – शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सहित पहचान का प्रमाण-पत्र; या (vii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्ति हेतु आधार की अपेक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाएं फायदाग्राहियों को या उनके माता-पिता या अभिभावकों को दी जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर 30.09.2017 तक बालक को नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)।

(ख) यदि फायदाग्राहियों ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे आस-पास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय द्वारा अपने क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है तथा फायदाग्राहियों इस हेतु मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या जिला परियोजना सोसाइटी या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर या संचार के अन्य साधनों तथा पैरा (1) के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध कर सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जैड-16012/1/2016-सीएल]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

S.O. 947(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of Stipend Component to Children in Special Training Centres (hereinafter referred to as the Scheme) under Grant-In-Aid Scheme to Voluntary Organisations;

And whereas, the Scheme is implemented at the field level by Voluntary Organisations (hereinafter referred to as Implementing Agencies). which provides Stipend (hereinafter referred to as the benefits) to all Child Labourers below the age of fourteen years (hereinafter referred to as beneficiaries) enrolled in Special Training Centres in the Non-National Child Labour Project Districts;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

(1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.09.2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) Any Government family entitlement card; or (v) Birth Certificate; or (vi) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (vii) Any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries or their parents or guardians to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get the child enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.09.2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers or other modes of communication and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials designated by the Ministry or Implementing Agencies or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[F. No. Z-16012/1/2016-CL]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.28 15:25:48 +05'30'